13/01/23 पत्रावली आज पेश हुई। दोनों पक्षों के वकील उपस्थित।

पत्रावली आज आदेश/निर्णय लिखने हेतु पेश हुई। आदेश/निर्णय अलग से लिखा जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

पत्रावली निर्णय जारी होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.03.21 16:48:27 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी

मु.न. 13 / 2022

प्रार्थीगण

1. मोतीराम पुत्र मोटाराम
2. आईदानराम पुत्र मोटाराम
3. वागाराम पुत्र मोटाराम

   जाति जाट निवासी जयपालों मेगवालों का वास तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. केहराराम पुत्र जोराराम
2. चन्दा पुत्र अरजन
3. डूंगरा पुत्र अरजन
4. दूदा पुत्र अरजन
5. धीराराम पुत्र जोराराम
6. मूलाराम पुत्र जोराराम
7. लीला पुत्र दमा

   जाति मेगवाल निवासी धांधलावास तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
8. कसुम्बीदेवी पत्नी वीरमाराम
9. तुलछाराम पुत्र वीरमाराम
10. थानाराम पुत्र वीरमाराम
11. देदाराम पुत्र मोटाराम
12. धूडाराम पुत्र वीरमाराम
13. मगाराम पुत्र वीरमाराम
14. वालाराम पुत्र वीरमाराम

    जाति जाट निवासी जयपालों मेगवालों का वास तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
15. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर हाल भारतीय स्टेट बैंक राणा प्रताप बाजार शाखा गुड़ामालानी
16. तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए की उपधारा 1
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संशोधन अधिनियम 2010)

उपस्थित :

1. **श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण**
2. **श्री भाखराराम गोदारा अधिवक्ता विप्रार्थी सं. 1 ता 7**

–: निर्णय :–

दिनांक :– 13/02/23

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A रा.का.अ. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि राजस्व ग्राम जयपालों मेगवालों का वास पटवार क्षेत्र खुडाला तहसील गुड़ामालानी में खेत खसरा नम्बर 2 क्षेत्रफल 8.4741 हैक्टयर में आने जाने हेतु कोई राजकीय कटान मार्ग नहीं है, हम विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 के खेत खसरा नम्बर 165 रकबा 4.1844 हैक्टेयर ग्राम धांधलावास में से ही आ जा सकते हैं। इसी रास्ते का उपयोग पीढ़ियों से करते आ रहे हैं। हरबार बरसात के दिनों में काश्त करने से रास्ता अवरूद्ध हो जाता है तथा विप्रार्थीगण आने जाने में झगड़ा करते हैं। अतः हमारी खातेदारी खेत खसरा नम्बर 2 से कटान मार्ग तक आवागमन हेतु विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 के खेत खसरा नम्बर 165 ग्राम धांधलावास में से संलग्न "परिशिष्ठ–अ" अनुसार राजस्व रेकर्ड में कटान मार्ग अपलिखित करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.03.21 16:48:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 ता 7 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए। भूमि धारक तहसीलदार गुड़ामालानी से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 1621 दिनांक 10.10.2022 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 2 से सरकारी कटान मार्ग तक पहुंचने हेतु खसरा नम्बर 165 में से होकर गुजरना ही सबसे नजदीकी एवं एक मात्र विकल्प है, तथा पूर्व से ही प्रार्थीगण द्वारा इसी रास्ते का उपयोग अपनी खातेदारी भूमि खसरा 2 से कटान मार्ग तक पहुचने के लिये उपयोग में ले रहे हैं। विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 165 में से प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 95 गठ्ठा चौडाई 3 गट्ठा है जिसका कुल रकबा 0.1169 हैक्टेयर है। प्रस्तावित रास्ते पर किसी प्रकार का पक्का निर्माण नहीं है, रास्ते की भूमि बरंग लाल नजरी नक्शा में प्रस्तावित कर रास्ता राजस्व रेकर्ड में अपलिखित किये जाने की अनुशंषा की है। तहसीलदार गुड़ामालानी की उक्त रिपोर्ट पर बकील विप्रार्थी संख्या 1 ता 7 द्वारा आपत्ति करते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 8 से 14 स्वर्ण जाति के प्रभावशाली एवं उच्च राजनीतिक पहुंच के व्यक्ति हैं तथा विप्रार्थी संख्या 1 से 7 अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्ति हैं, प्रार्थी व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 7, दोनों पक्षकारों का गांव पटवार मण्डल एवं ग्राम पंचायत भी अलग अलग हैं फिर भी बिना वैध कारण के प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है, विप्रार्थी संख्या 1 से 7 के खेत के दक्षिण सेढा पर उनकी रहवासी ढाणियां, पक्के मकान, टांका, ट्यूबेल, चारवाडे बने हुए हैं जिनके फोटो संलग्न हैं, परन्तु तहसीलदार गुड़ामालानी की मौका रिपोर्ट में विप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 के खेत के दक्षिण सेढा पर उक्त मकान ढाणी, टांका, ट्यूबेल आदि का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, इन्हें ध्वस्त कर रास्ता दिया जाना न्याय संगत नहीं है। साथ ही वकील विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 ने यह भी कथन कि विकल्प में विप्रार्थी संख्या 1 से 7 के भविष्य को मध्य नजर रखते हुए प्रार्थीगण को दूसरे गांव के होते हुए भी भूमि के बदले भूमि यदि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण संख्या 8 से 14 समझौता कर सहमति से विप्रार्थी संख्या 1 से 7 को देने में सहमत हो तो खसरा नम्बर 51, 238/52 एवं प्रार्थीगण तथा विप्रार्थीगण संख्या 8 से 14 के सेढासेढ 2 गट्टा चौडा रास्ते हेतु विप्रार्थी संख्या 1 से 7 के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 165 मौजा धांधलावास के उत्तरी सेढा पर जो परिशिष्ठ–क'' में बरंग हरा से ए से बी'' दर्शाया गया है भूमि सार्वजनिक रास्ते के लिये देने के लिये सहमत हैं, जो प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण संख्या 8 से 14 खसरा नम्बर 2 मौजा जयपाला मेगवालों को वास के लि[illegible] करवा कर रास्ते की सुविधा का लाभ प्रदान किया जा सकता है। विप्रा[illegible] ने अपने जबाव व बहस के समर्थन में RRD पेज [illegible] की निगरानी [illegible] में पारित निर्णय दिनांक 14.12.2019 की छायाप्रति, 2021 RBJ (28) पेज 276 हेमसिंह बनाम जेठूसिंह निगरानी में राजस्व मण्डल [illegible]स्थान अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.04.2021 की छायाप्रति पेश की गई।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी, पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन अध्ययन किया गया। विप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.03.21 16:48:27 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 1 ता 7 द्वारा की गई आपत्ति एवं विकल्प के तौर पर प्रस्तुत विप्रार्थी संख्या 1 से 7 के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 165 मौजा धोधलावास के उत्तरी सेढा पर जो परिशिष्ठ–क'' में बरंग हरा से ए से बी'' मानचित्र के के परिपेक्षय में तहसीलदार गुडामालानी की मौका रिपोर्ट क्रमांक 1621 दिनांक 10.10.2022 का गहराई से अवलोकन अध्ययन किया गया। तहसीलदार गुडामालानी द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्रस्तावित खसरा संख्या 165 में से बरंग ''लाल'' सबसे नजदीकी विकल्प है जबकि विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 की ओर से विकल्प के तौर पर प्रस्तावित खसरा संख्या 165 में से बरंग ''हरा'' की दूरी अधिक है। रास्ते हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत प्रदत्त नियमों के तहत सबसे नजदीकी विकल्प को रास्ते के रूप में अपलिखित किया जा सकता है, प्रार्थीगण द्वारा बरंग ''लाल'' मार्ग का उपयोग पूर्व से ही किया जा रहा है तथा वर्तमान में भी इसी मार्ग का उपयोग आवागमन के लिये करते है, एवं प्रार्थीगण की खातेदारी खसरा संख्या 2 से कटान मार्ग तक पहुंचने के लिये यही सबसे नजदीकी विकल्प है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 द्वारा दूसरा विकल्प भूमि के बदले भूमि दिये जाने पर खसरा संख्या 165 में से रास्ते का कथन किया है, भूमि के बदले भूमि दिये जाने के समर्थन में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त RRD पेज 738 मातादीन बनाम हरीसिंह के रिवीजन में पारित निर्णय दिनांक 14.12.2019 का ससम्मान अवलोकन किया गया, प्रस्तुत निर्णय में यह स्पष्ट प्रावधित किया गया है कि नियम 70(1)(i) में सहमति से प्रतिकर राशि का प्रावधान किया है जिसका उद्देश्य यह प्रतीत होता है कि काश्तकारों के मध्य रास्तों से सम्बन्धित विवादों का निस्तारण सहमति से हो सके तथा इस हेतु सहमति से प्रतिकर राशि का प्रावधान रखा है, इस प्रावधान में सहमति का यह उद्देश्य है कि प्रतिकर के सम्बन्ध में सहमति हो सके जिससे यह भावना भी निहित है कि प्रतिकर के रूप में अन्य कोई प्रतिफल भी हो सकता है तथा यदि प्रतिकर के रूप में दोनों पक्षों के मध्य भूमि के आदान–प्रदान की सहमति होती है तथा ऐसी भूमि का आदान–प्रदान काश्तकारी अधिनियमों के प्रावधानों के विपरीत नहीं हो व राजकीय पक्ष को नुकसान नहीं हो तो दोनों पक्षों की सहमति का सम्मान किया जाना चाहिये, यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त धारणा जिसमें रास्ता देने वाले एवं रास्ता लेने वाले दोनों पक्षों में रास्ते में आयी भूमि के बदले भूमि दिये जाने पर सहमति है तो उसके अनुसार काश्तकारी नियम 70(1)(i) के अनुसार भूमि दी जा सकती है परन्तु यदि दोनों पक्षों के मध्य सहमति नहीं हो तो काश्तकारी नियम के अनुसार मुआवजा राशि निर्धारित की जा सकती है।'' उक्त निर्णय के प्रकरण में प्रार्थी स्वयं द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह कथन किया है कि वह न्यायालय के आदेशानुसार मुआवजा राशि या बदले में जमीन देने को तैयार है। ... प्रार्थी संख्या 2 से 4 ने रास्ता सशर्त दिये जाने हेतु सहमति ... जबकि उक्त हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में ... के बदले भूमि दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं किया है और ना ही भूमि के बदले भूमि दिये जाने के लिये सहमत है। अतः उक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रदत्त प्रावधान अनुसार विप्रार्थी संख्या 1 ता 7 द्वारा दिया गया विकल्प दोनों ही पक्षकारों की सहमति नहीं होने के कारण उक्त हस्तगत प्रकरण में पोषणीय नहीं है। अतः विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 द्वारा प्रस्तुत आपत्तियां निराधार एवं राजस्थान काश्तकारी

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.03.21 16:48:27 IST
Reason: SelfAttested

अधिनियम के तहत 251ए के तहत रास्ता अपलिखित किये जाने के प्रदत्त प्रावधानों के विपरीत होने से खारिज की जाती हैं।

प्रार्थीगण के आवेदन पर गंभीरता व गहनता से मनन करते हुए तथा प्रार्थी की अत्याधिक आवश्यकता को देखते हुए तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपनी रिपोर्ट कमांक 1621 दिनांक 10.10.2022 के संलग्न परिशिष्ट 'अ' में दर्शाए "लाल रंग मार्क" अनुसार कटान मार्ग से प्रार्थीगण की आराजी खेत खसरा संख्या 2 ग्राम जयपालों मेगवालों का वास से कटान मार्ग तक आने–जाने हेतु विप्राथी संख्या 1 ता 7 की आराजी ग्राम धांधलावास के खेत खसरा नम्बर 165 में से लम्वाई 95 गट्ठा तथा चौडाई 3 गट्ठा कुल रकबा 0.1169 हैक्टेयर भूमि रास्ते हेतु वरंग "लाल" संलग्न नक्शा अनुसार 'रास्ता' घोषित किए जाने के आदेश दिया जाते है। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तुत किया गया परिशिष्ट 'अ' मौका रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस को निर्णय का आवश्यक अंग मानते हुए प्रार्थीगण को उपरोक्तानुसार प्रस्तावित 'रास्ता' निम्नलिखित शर्तो के अनुरूप होगा।

प्रार्थीगण द्वारा रास्ता प्राप्त करने के एवज में कितनी राशि का भुगतान विप्रार्थीगण को किया जाएगा, इस हेतु राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) (संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(1) (11)(अ) में स्पष्ट है कि अगर समझौते में क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं है तो जिला स्तरीय कमेटी (DLC) द्वारा निर्धारित दरो की दो गुना राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थी को रास्ता दिया जा सकता है। और अगर कोई अन्य पेड, फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो अध्याय 70(2) के अन्तर्गत उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

निर्णयानुसार प्रस्तावित 'रास्ते' मे समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचालित DLC द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा प्रार्थीगण को अवगत कराई जाएगी। तहसीलदार द्वारा गणना उपरांत बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण को 'रास्ते' के रूप में दर्ज होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में देय होगी जो DLC द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक को प्रचलित दर की दो गुणा के बराबर होगी।

प्राथीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित राशि विप्रार्थीगण को प्रदान करने के उपरांत ही तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा [illegible] से नए रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जाएगा। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर राशि लेने से [illegible] करते हो तो प्रार्थीगण द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जाएगी [illegible] जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जाएगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.03.21 16:48:27 IST
Reason: Self Attested

नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेख में 'रास्ते' के

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

रूप में दर्ज होगी। प्रार्थीगण को इस प्रकार दर्ज भूमि को 'रास्ते' के रूप में उपयोग के अधिकार के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नही होंगे। रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरे में से कम करते हुए राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तो के अधीन ही प्रार्थीगण को नया रास्ता दिए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार गुडामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13/02/23 को खुले न्यायालय मजमेआम में सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.03.21 16:48:27 IST
Reason: SelfAttested